सेमिनार में उद्यमियों के संगठनों को स्प्री योजना की दी जानकारी

सेमिनार के दौरान मौजूद उद्यमी संगठनों के पदाधिकारी व अधिकारी • जागरण

जासं, गुरुग्राम: ईएसआइसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें गुरुग्राम औद्योगिक संगठन एवं नियोक्ता संघ के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को ईएसआइसी से संचालित स्प्री योजना–2025 के अंतर्गत पंजीकरण के लाभों की जानकारी दी गई।

सेमिनार में औद्योगिक संघ के अध्यक्ष जेएन मंगला, प्रोग्रेसिव फेडरेशन आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके गुप्ता, नियोक्ता संघ के संदीप सांगवान, हरीश शर्मा, गुड़गांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सुमित राव, सेफ इन फाउंडेशन की आशा और चन्द्र शर्मा जैसे प्रमुख उद्यमी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी सुनील यादव ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने कर्मचारियों और नियोजकों के लिए एसपीआरईई–2025 योजना शुरू की है। यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है, जो 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस अवधि में अपंजीकृत नियोक्ता बिना किसी निरीक्षण या पेनल्टी के ईएसआइसी पोर्टल पर अपनी फर्म का पंजीकरण करा सकते हैं। उप निदेशक सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डा. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक कमलेन्द्र कुमार और प्रमोद कुमार आदि रहे।

सेमिनार में स्प्री 2025 योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित औद्योगिक संघ एवं नियोक्ता संघ को संबोधित करते हुए सुनील यादव ने बताया कि ईएसआईसी ने कर्मचारियों एवं नियोजकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने हेतु एसपीआरईई-2025 योजना का आरंभ किया है। योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम के प्रभारी सुनील यादव ने बताया कि यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही व्यवसाय और कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही यह योजना संरक्षित भविष्य का संकल्प भी प्रदान करती है। योजना एक जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत अपंजीकृत नियोक्ता बिना किसी निरीक्षण या पेनल्टी के ईएसआईसी पोर्टल पर अपनी फर्म का पंजीकरण करा सकते हैं। उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम के प्रमुख ने औद्योगिक संगठन एवं नियोक्ता संघ के प्रतिनिधियों को इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि वे सभी अपंजीकृत नियोजकों को इस योजना का लाभ उठाने हेतु ईएसआईसी में पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करें, ताकि वंचित श्रमिक/कर्मचारी भी ईएसआईसी द्वारा दिए

पाएं फ्री ई-पेपर

चिकित्सा एवं नकद हितलाभ का फायदा उठा सकें। साथ ही उ
किया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने अपनी अध्यक्षता में शिमला में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक में